कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. ।।)सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल

क्रमांक/क्षे.स्था.2 /2136 भोपाल, दिनांक 2/6/16

प्रति,

क्षेत्र संचालक

टाईगर रिजर्व सिवनी/पन्ना/मण्डला

मध्यप्रदेश

विषयः दैनिक वेतन भोगी सहायक महावत को सहायक महावत के रिक्त पदों पर नियमितीकरण के संबंध में।

सन्दर्भः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/क्षे.स्था.2/2247 दिनांक 24.5.2016

---00---

विषयांतर्गत कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दैनिक वेतन भोगी सहायक महावत को सहायक महावत के रिक्त पदों पर नियमितीकरण के संबंध में राज्य स्तरीय छानबीन समिति का कार्यवाही विवरण एवं परिशिष्ट–1 में चयनित श्रमिकों की जानकारी प्रेषित की गई है।

2. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/अनुसंधान एवं विस्तार) एवं समस्त वनमण्डलाधिकारियों को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/क्षे.स्था.2/446 दिनांक 28.01.2016 से अनुकम्पा नियुक्ति एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण में प्रवर्गवार रोस्टर संधारण बावत दिशा निर्देश दिये गये है,(छायाप्रति संलग्न) विषय से संबंधित प्रक्रिया में निर्देशों का संज्ञान लिया जाना चाहिए।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(प्रतीश त्यागी)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. ।।)

म.प्र. भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक/क्षे.स्था.2 /2437 भोपाल, दिनांक 2/6/16

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) सिवनी, छतरपुर एवं जबलपुर की ओर सन्दर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. ।।)

म.प्र. भोपाल

01.06.2016

H:\letter-a .doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल

(शाखा प्रशासन–।।)

क्रमांक/क्षे.स्था.।।/1146 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/अनुसंधान एवं विस्तार)
2. समस्त वनमण्डल अधिकारी, वनविभाग
   मध्यप्रदेश

विषयः दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियमितीकरण में प्रवर्गवार नियुक्ति के संबंध में।

--0--

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 08 जून 1994 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 जारी किया गया है। जिसकी कंडिका–4(4) में उल्लेख है कि "कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यार्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसे उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तयों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।" यह नियम सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन प्रक्रिया के लिए शासन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ज्येष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) में योग्यता के आधार पर चयनित आरक्षित प्रवर्ग का अभ्यार्थी अनारिक्षत रोस्टर पर नियुक्ति के लिए पात्र होता है।

उपरोक्त नियम गैर प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिए नहीं है। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अनुकम्पा नियुक्ति विषयक परिपत्र क्रमांक सी–3–2/2013/1/3 दिनांक 29.9.2014 की कंडिका 7.9 में भी स्पष्ट दर्ज किया गया है कि आरक्षण रोस्टर अनुसार संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पद पर ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी। इसी प्रकार दैनिक वेतन भोगी से नियमितीकरण आधारित नियुक्ति में भी आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए केवल संबंधित प्रवर्ग के रिक्त रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध ही नियुक्ति दी जाना चाहिए।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि अनुकम्पा नियुक्ति एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितीकरण मे प्रवर्गवार रोस्टर बिन्दु पर ही नियुक्ति दी जाना चाहिए।

25.01.2016

(सतीश त्यागी)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)

मध्यप्रदेश, भोपाल

23/1/16